न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, अम्बेडकरनगर।

उपस्थितः– राम विलास सिंह "उच्चतर न्यायिक सेवा"

UPAN010015202014

Session Trial/1000127/2014

सरकार ———————————— **अभियोजन**

बनाम

1. चन्दन आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र रामकुबेर

2. अमिरता आयु लगभग 60 वर्ष पत्नी रामकुबेर

3. राकेश आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र रामदुलार

4. जगजीवन आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र रामदुलार

निवासीगण ग्राम अफजलपुर, थाना–कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर।

————————————**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–06/2014
धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकर नगर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद मु0अ0सं0 06/2014, थाना–कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर की पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण चन्दन, अमिरता, राकेश व जगजीवन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–308,324,504 व 506 के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरांत सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 28.05.2014 पारित किये जाने तथा माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में अन्तरण द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर आधारित है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा पवन कुमार पुत्र मिठाईलाल, निवासी अफजलपुर, थाना–अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा थाना–अकबरपुर, अम्बेडकर नगर पर टाईपशुदा तहरीर, जिस पर प्रदर्श क–1 अंकित है, इस आशय की दी गई कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता मिठाईलाल दिनांकः 03.01.2014 को मुकेश वर्मा के खेत में गन्ना काटने गए थे। समय लगभग 6:30 बजे सुबह विपक्षी चन्दन पुत्र राम कुबेर व चन्दन की मां इमिरता व राकेश व जगजीवन पुत्रगण रामदुलार भी मुकेश वर्मा के खेत में गन्ना काटने

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.04.03 10:08:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आए और प्रार्थी के पिता मिठाईलाल को देखते हो इमिरता ने ललकारते हुए एवं गाली देते हुए अपने लड़के चन्दन से कहा कि आज इसे मार डालों इतने में राकेश व जगजीवन ने प्रार्थी के पिता को पकड़ लिया और चन्दन ने गन्ना काटने वाले गड़ासे से प्राथ्री के पिता मिठाईलाल के सर में मारना शुरू कर दिया। इस दौरान इमिरता द्वारा बराबर ललकारा जा रहा था कि आज इसे जान से मार डालों छोडो मत। प्रार्थी इस घटना को देखकर काफी भयभीत हो गया और हल्ला गोहार मचाते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगा। इस दौरान गांव के तमाम लोग आ गए और बीच बचाव किया। प्रार्थी अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर आया जहां से प्रार्थी के पिता की गमभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेन्टर के लिए रिफर कर दिया गया। प्रार्थी के पिता की हालत अभी भी गम्भीर बनी हुई है। प्रार्थी किसी तरह से मौका निकाल कर यह प्रार्थना पत्र देने आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

3. वादी मुकदमा की टाईपशुदा तहरीर जिस पर प्रदर्श क–1 अंकित है, के आधार पर संबंधित थाना–कोतवाली अकबरपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 04.01.2014 को समय 13:10 बजे मुकदमा अपराध संख्या–06/2014 धारा–308,324,504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई।

4. संबंधित थाना–कोतवाली अकबरपुर की पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग की विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विवेचक द्वारा घटना–स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया। आहतों के चिकित्सीय प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादी व चोटहिल व अन्य साक्षीगण के बयानात केस डायरी में अंकित किये और विवेचना उपरांत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **चन्दन, अमिरता, राकेश व जगजीवन** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–06/2014 में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–308,324,504 व 506 के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं0–65/2014 दिनांकित 30.01.2014 न्यायालय विचारण हेतु प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया।

5. प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण **चन्दन, अमिरता, राकेश एवं जगजीवन** के विरूद्ध दिनांक 18.09.2014 को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–308/34,324/34,,504 व 506 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण उपर्युक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया,

किन्तु अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की गई।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षण कराया गया है:—

क्रम सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0 1	पवन कुमार	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0 2	मिठाईलाल	तथ्य का साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	डा0 राकेश कुमार सिंह	चिकित्सक साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	अनिल कुमार तिवारी	औपचारिक साक्षी
5	पी0डब्लू0 5	मिश्रीलाल	औपचारिक साक्षी

7. अभियोजन की ओर से, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं:—

क्रम सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**सिद्ध करने वाला साक्षी**
1	तहरीर	प्रदर्श क—1	पी0डब्लू0 1
2	मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क—2	पी0डब्लू0 3
3	नक्शा नजरी	प्रदर्श क—4	पी0डब्लू0 4
4	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क—5	पी0डब्लू0 4 व पी0डब्लू0 5
5	फर्द बरामदगी नक्शा नजरी	प्रदर्श क—6	पी0डब्लू0 4
6	आरोप—पत्र	प्रदर्श क—7	पी0डब्लू0 4
7	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क—8	पी0डब्लू0 4
8	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क—9	पी0डब्लू0 4
9	बरामद गड़ास की रपट प्रति	प्रदर्श क—10	पी0डब्लू0 4

9. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा—313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत कहा गया है तथा मुकदमा दुश्मनी के कारण चलना कहा गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि चोटहिल अज्ञात स्थान पर अज्ञात लोगों द्वारा मारा पीटा गया है। रंजिश के कारण उसे गलत तरह से मुकदमे में फंसा दिया है। सफाई साक्ष्य देने का कथन

किया गया है परन्तु किसी साक्षी को सफाई साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. मैंने प्रस्तुत मामले में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध यह अभियोग है कि दिनांकः 03.01.2014 को समय 06:30 बजे प्रातः स्थान बहद ग्राम अफजलपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के पिता को भद्दी भद्दी गालियां देकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा एक राय होकर वादी मुकदमा पवन कुमार के पिता मिठाईलाल को सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार गड़ासे से इस आशय से मारकर गंभीर उपहति कारित किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।

13. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। चोटहिल को अज्ञात स्थान पर अज्ञात लोगों द्वारा मारा पीटा गया है। रंजिश के कारण उन्हें गलत तरह से मुकदमे में फंसा दिया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है। अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

14. आपराधिक प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार होता है कि अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

15. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा पवन कुमार** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''इस मामले की घटना 03.01.14 सुबह 06:30 बजे की है। ताजनपुर के मुकेश वर्मा के गन्ना के खेत में गन्ना काटने मैं व मेरे पिता गये थे कुछ देर बाद चन्दन, चन्दन की मां इमिरता, राकेश व जगजीवन जो मेरे गांव के हैं। हम लोगों से थोड़ी देर बाद गन्ने के खेत में आये और मेरे पिता मिठाईलाल को देखते ही इमिरता ने ललकारते हुए अपने लड़के से कहा कि इसे मार डालों। उनके ललकारने पर राकेश व जगजीवन ने मेरे पिता मिठाईलाल को पकड़ लिया और चन्दन ने गन्ना काटने वाले गड़ासे से जान से मारने की नीयत से 3–4 गड़ासा सर पर मारा। मैं भी मौके पर मौजूद था। इमिरता बार–बार ललकार रही थी कि मार डालो, बचने न पाये। मैं अपने पिता को बचाने की गरज से गोहार लगाया तो गांव के मिश्रीलाल, सूरज आये और तमाम लोग आये। तब तक मुल्जिमान भाग गये। मैं अपने पिता को घायलावस्था में एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल ले आया, जहां दवा इलाज के बाद लखनऊ रेफर कर दिये, जहां मेरे पिता 8–9 दिन भर्ती रहे। मुल्जिमान मेरे गांव के है। मुल्जिान मेरे पिता को क्यों मारे, मैं नहीं बता सकता। मेरी जानकारी में मुल्जिमान से हम लोगों की कोई रंजिश नहीं है। चूंकि मुल्जिमान रंजिश मानते रहे तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे दिन मैं लखनऊ से आकर कचेहरी में एक मुंशी को बोल बताकर एक दरखास्त तैयार कराया। कोतवाली में मेरा मुकदमा लिखा गया। साक्षी ने तहरीर कागज सं0–4अ/2 को देखकर कहा कि यह मेरी तहरीर है, इस पर मेरा हस्ताक्षर है। लिखी इबारत की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के बाबत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। घटना स्थल मैं दरोगा जी को दिखाया था।''

16. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 2 मिठाईलाल** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''घटना 03.01.2014 की है, सुबह के 06:30 बजे थे। मैं मेरा लड़का पवन कुमार मुकेश के खेत में गन्ना काटने गये थे। तभी मुल्जिमान चन्दन, जगदीश, राकेश व इमिरता देवी भी मुकेश के खेत में गन्ना काटने आये। इमिरता देवी ने मुझे देखते ही ललकारा कि आज इसे मार डालों। चन्दन मुझे गाली देने लगे। मैंने उन्हें गाली देने से मना किया तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। इस पर चन्दन गन्ना काटने वाले गडांसे से मेरे सिर में प्रहार करने लगे। मेरा लड़का पवन डर के मारे भागने लगा और दूर से गोहार लगाने लगा। जब मुल्जिमान मार कर जाने लगे मौके पर गांव वाले भी आ गये। सभी लोग मुझे जिला अस्पताल ले गये। वहां से ट्रामा सेन्टर लखनऊ ले गये।

घटना की रिपोर्ट मेरे लड़के ने दर्ज करायी थी। लखनऊ से जब वापस आया तो 15 दिन बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। चोट खाने के थोडी देर बाद मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। थोडा बहुत दिखता है।''

17. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 3 डा0 राकेश कुमार सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''दिनांकः 03.01.2014 को मैं संयुक्त जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। उस दिन सुबह इस मुकदमे के चोटहिल मिठाईलाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु चोटहिल हालत में मेरे समक्ष पंचमराम जो चोटहिल का बड़ा भाई था, लेकर आया था। दौरान निरीक्षण चोटहिल के शरीर पर निम्न चोटें पायी गई।

चोट सं0–1 एक फटा हुआ घाव 11 गुणा 1 सेमी0 गुणा ब्रेन मेटर तक गहरा मौजूद था। जो सिर के पिछले हिस्से में दाहिने कान से 8 सेमी0 पीछे मौजूद था। चोट लाइनर शाफ्ट थी। खून बह रहा था।

चोट सं0–2 एक कटा हुआ घाव 9 गुणा 1 सेमी0 गुणा हड्डी तक गहराई सिर के पिछले हिस्से में पहली चोट से 2 सेमी0 पहले मौजूद थी। जो कि लीनयर व साफ्ट थी।

चोट सं0–3 एक कटा हुआ घाव 6 गुणा 1 सेमी0 गुणा हड्डी तक गहराई सिर के ऊपरी हिस्से के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से तक मौजूद था। सभी चोटों में ताजे खून का रिसाव हो रहा था।

चोटहिल अर्धमूछित अवस्था में उसे दौरे आ रहे थे। स्थिति गंभीर थी। चोटों को जेरे निगरानी रखते हुए सी0टी0 स्कैन एक्सरे व अग्रिम इलाज के लिए बडे संस्थान के लिए रेफर किया गया। सभी चोट जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे व सी0टी0 स्कैन हेतु रेफर किया था। निरीक्षण के समय सभी चोटे ताजी थी जो सख्त व धारदार हथियार द्वारा पहुचाई गयी थी। मेडिकल रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मेरे सामने है, शामिल मिसिल है, तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। यह चोटें दिनांकः 03.01.14 की सुबह 06:30 बजे पहुचाया जाना संभव है। उपरोक्त चोट गणासे से पहुचाया जाना संभव है।

18. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 4 अनिल कुमार तिवारी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''मैं दिनांकः 04.01.2014 को थाना कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उपरोक्त मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई। थाना उपरोक्त से उपरोक्त मुकदमे की नकल

चिक, नकल रपट भी प्राप्त हुई। मैं विवेचना में मशरूफ हुआ और उसी दिन मेरे द्वारा पर्चा नं0–1 किता किया गया। जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया। वादी मुकदमा पवन कुमार भी थाने पर मौजूद मिला। जिस कारण उसका भी बयान अंकित किया। दिनांकः 04.01.2014 को पर्चा नं0–1ए भी किता किया। जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का मेडिकल प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया और थाने में कार्यरत एच.एम. रामऔतार सिंह का बयान अंकित किया। दिनांकः 05.01.2014 को पर्चा नं0–21 किता किया। जिसमें घटनास्थल पर जाकर वादी मुकदमा पवन कुमार की निशानदेही पर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। तत्पश्चात् समयी साक्षी के रूप में इन्द्रजीत व फूलचन्द्र का बयान अंकित किया। दिनांकः 06.01.2014 को पर्चा नं0–3 किता किया, जिसमें अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया और चन्दन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गडासा को बरामद किया, जिसे अभियुक्त चन्दन ने स्वयं बरामद कराया था। फर्द बरामदगी गडासा व उसकी नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है। जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व 6 डाला गया। दिनांकः 17.01.2014 को पर्चा नं0–4 किता किया, जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का बयान अंकित किया और डिस्चार्ज टिकट मिलने पर उसका भी अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया तथा शेष अभियुक्तगणो के सम्भावित स्थान पर दबिश दिया, दस्तयाब नहीं हुए। दिनांकः 20.01.2014 को पर्चा नं0–5 किता किया, जिसमें अभियुक्त चन्दन के रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांकः 21.01.2014 को पर्चा नं0–6 किता किया। जिसमें चोटहिल का इलाज करने वाले चिकित्सक डा0 आर0के0 सिंह का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् स्वतंत्र साक्षी रामप्रसाद, संजू, मुकेश वर्मा, चश्मदीद साक्षी पप्पू यादव, रामपूजन का बयान अंकित किया और शेष अभियुक्तगणों के सम्भावित स्थानों और घर पर दबिश दी गयी। दस्तयाब नहीं हुए। दिनांकः 22.01.2014 को पर्चा नं0–7 में शेष अभियुक्तगण राकेश, जगजीवन व अमृता आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया। दिनांकः 29.01.2014 को पर्चा नं0–8 किता किया, जिसमें न्यायालय के समक्ष शेष अभियुक्तगण का बयान लेने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी, अनुमति प्राप्त हुई। दिनांकः 30.01.2014 को पर्चा नं0–9 किता किया, जिसमें न्यायालय के आदेश पर समय 15:36 बजे मण्डल कारागार फैजाबाद जाकर अभियुक्तगण राकेश, अमृता व जगजीवन का बयान अंकित किया। दिनांकः 03.02.2014 को एस0सी0डी0–1 किता

की गयी। जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का मजीद बयान अंकित किया और उनके द्वारा प्रदान किया गया एक्स–रे व सी0टी0 स्कैन की प्लेट को संलग्न सी0डी0 किया। रिपोर्ट मांगने पर चोटहिल ने कहा न्यायालय पर उपलब्ध करा दूंगा। तत्पश्चात् फर्द के गवाह मिश्रीलाल, सूरज, कां0 आत्मा प्रसाद, कां0 सुनील यादव का बयान अंकित किया। तमामी विवेचना, निरीक्षण घटना स्थल, फर्द बरामदगी, बयान वादी, चोटहिल व अन्य गवाहान, मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर मैंने अभियुक्तगण चन्दन, अमृता, राकेश व जगजीवन के विरूद्ध धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र सं0–65/14 दिनांकः 30.01.2014 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की चिक व कायमी नकल रपट सं0–20 समय 13:10 बजे दिनांकः 04.01.2014 को थाने पर कार्यरत एच.एम. रामऔतार सिंह द्वारा किता की गयी है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–8 व 9 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे में बरामद गड़ासा की नकल रपट–29 समय 15:45 बजे दिनांकः 06.01.2014 को किता की गयी है, जिसकी कार्बन प्रति शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।............. उपरोक्त मुकदमा अ0सं0–6/14 थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर का माल मुकदमाती सीलयुक्त अवस्था में एक सफेद कपड़े में मेरे समक्ष है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। खोलने पर उपरोक्त का माल मुकदमाती गड़ासा एक अखबारी पेपर में लिपटा हुआ पाया गया। जिस पर कुछ मिट्टी के अंश चिपके हुए पाये गये। मालमुकदमाती पर सूखा हुआ ब्लड पाया गया। साक्षी ने उपरोक्त माल मुकदमाती को देख कर बताया कि यही माल मुकदमाती अभियुक्त चन्दन ने गन्ने के खेत से पत्तियों के नीचे से बरामद कराया था और बताया था कि इसी से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर मिठाईलाल को चोट पहुंचाया था। माल मुकदमाती को साक्षी ने पहचान किया जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।''

19. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू. 5 मिश्रीलाल** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य बयान दिया कि ''मैं आज न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने आया हूं। मैं उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त चन्दन को भली भॉति जानता पहचानता हूं। वह मेरे गांव के हैं। घटना आज से करीब 10 साल पहले की है, तारीख याद नहीं है। मेरे सगे भाई मिठाईलाल को अभियुक्त चन्दन ने जान से मारने की नीयत से बांका/गड़ासा से मारा पीटा था, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया था। पुलिस चन्दन को मेरे सामने

मेरे गांव के मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में ले गयी थी। मेरे साथ मेरे गांव के सूरज भी थे। चन्दन ने हम लोगों के सामने मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में गन्ने की पत्ती के नीचे छिपाकर रखा आलाकत्ल गड़ासा/बांका निकालकर पुलिस वालों को दिया था, जिसे पुलिस वालों ने हम लोगों के सामने सील मुहर किया। मैंने बांका/गड़ासा मौके पर देखा था। गड़ासे में खून, मिट्‌टी व बाल लगे थे। दिन के करीब तीन बज रहे थे। पुलिस वालों ने फर्द मौके पर तैयार किया था। हम लोगों को फर्द मौके पर पढ़कर सुनाया था, तब मैंने व सूरज वर्मा ने तथा मुल्जिम चन्दन के साथ–साथ अन्य पुलिस वालों ने उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। शामिल पत्रावली फर्द कागज सं0–6अ/6 मेरे समक्ष है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–5 पूर्व में डाला गया है। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।''

20. अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर उनका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया। अब न्यायालय को यह देखना है कि, क्या अभियुक्तगण पर जिन आपराधिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है और जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे अभियुक्तगण पर अपराध बिना संदेह के पूरी तौर पर साबित होता है अथवा नहीं? अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन **साक्षी पी.डब्लू.1 के रूप में पवन कुमार** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–''इस मामले की घटना 03.01.14 सुबह 06:30 बजे की है। ताजनपुर के मुकेश वर्मा के गन्ना के खेत में गन्ना काटने मैं व मेरे पिता गये थे कुछ देर बाद चन्दन, चन्दन की मां इमिरता, राकेश व जगजीवन जो मेरे गांव के हैं। हम लोगों से थोड़ी देर बाद गन्ने के खेत में आये और **मेरे पिता मिठाईलाल को देखते ही इमिरता ने ललकारते हुए अपने लडके से कहा कि इसे मार डालों। उनके ललकारने पर राकेश व जगजीवन ने मेरे पिता मिठाईलाल को पकड़ लिया और चन्दन ने गन्ना काटने वाले गड़ासे से जान से मारने की नीयत से 3–4 गड़ासा सर पर मारा। मैं भी मौके पर मौजूद था। इमिरता बार–बार ललकार रही थी कि मार डालो, बचने न पाये।** मैं अपने पिता को बचाने की गरज से गोहार लगाया तो गांव के मिश्रीलाल, सूरज आये और तमाम लोग आये। तब तक मुल्जिमान भाग गये। मैं अपने पिता को घायलावस्था में एम्बुलेंस से लेकर जिला अस्पताल ले आया, जहां दवा इलाज के बाद लखनऊ रेफर कर दिये, जहां मेरे पिता 8–9 दिन भर्ती रहे। मुल्जिमान मेरे गांव के है। मुल्जिान मेरे पिता को क्यों मारे, मैं नहीं बता सकता। मेरी जानकारी में मुल्जिमान से हम लोगों की कोई रंजिश

नहीं है। चूंकि मुल्जिमान रंजिश मानते रहे तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे दिन मैं लखनऊ से आकर कचेहरी में एक मुंशी को बोल बताकर एक दरखास्त तैयार कराया। कोतवाली में मेरा मुकदमा लिखा गया। साक्षी ने तहरीर कागज सं0–4अ/2 को देखकर कहा कि यह मेरी तहरीर है, इस पर मेरा हस्ताक्षर है। लिखी इबारत की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के बाबत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। घटना स्थल मैं दरोगा जी को दिखाया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के दिनांक 03.01.2014 को जब वह अपने पिता के साथ ताजनपुर के मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में गन्ना काटने गया था तब वहां पर आये मुल्जिमान इमिरता, राकेश, जगजीवन व चंदन उपस्थित आये और इमिरता के ललकारने पर राकेश व जगजीवन ने उसके पिता मिठाईलाल को पकड़ा और अभियुक्त चंदन ने गन्ना काटने वाले गड़ासे से जान से मारने की नीयत से 3–4 गड़ासा सर पर मारा। इमिरता बार–बार ललकार रही थी कि मार डालो, बचने न पाये। घटना के समय साक्षी मौके पर ही मौजूद था। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मुल्जिमान भी मेरे ही गांव के रहने वाले है। अफजलपुर गांव की आबादी लगभग 50 घर की है। मुल्जिमान मेरे पट्टीदार नहीं है, बिरादरी के है। मेरे घर से मुल्जिमान के घर की दूरी लगभग 3 बीघा है। इस घटना के पहले हम लोगों के बीच कभी मारपीट नहीं हुई थी।........मैं गन्ना छिलना शुरू किया और मेरे पिताजी और गन्ना काट रहे थे।............मेरे पिताजी व गन्ना मालिक के अलावा और कोई गन्ना नहीं काट रहा था, मेरे अलावा और कोई गन्ना नहीं छील रहा था। **मुल्जिमान मेरे पहुंचने के दस मिनट बाद गन्ना के खेत पर पहुंचे थे। चारों मुल्जिमान एक साथ पहुंचे थे और पहुंचते ही मेरे पिता को मारने लगे।** मैं तुरन्त गांव की तरफ भाग गया। **मुल्जिमान लगभग एक मिनट तक मेरे पिता को मारे पीटे थे। मुल्जिम चन्दन के हाथ में गडासा था, बाकी लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। वे केवल मेरे पिता जी का हाथ पकड़े थे। चंदन अकेले मार रहे थे। मेरे पिता जी को सिर में पीछे तरफ तीन चोट लगी थी।** जब मैं लौट कर खेत में आया तो मैंने अपने पिताजी के चोटों को देखा था। मैं भागकर अपने गांव गया और घटना के संबंध में लोगों को बताया, मैं करीब आधा घंटा बाद खेत में वापस आया था जब मैं खेत में वापस आया था, उस समय मुल्जिमान खेत में नहीं थे, भाग गये थे। मेरे पिताजी उस समय खेत में गिरे पड़े थे, होश में नहीं थे।''

इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मुल्जिमान उसके गांव के रहने वाले है। इस घटना के पहले उन लोगों के बीच कभी मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी व उसके पिता गन्ना छीलने व काटने हेतु खेत में गये थे। मुल्जिमान उसके पहुंचने के दस मिनट बाद गन्ना के खेत पर पहुंचे थे। चारों मुल्जिमान एक साथ पहुंचे थे और पहुंचते ही उसके पिता को मारने लगे। मुल्जिम चन्दन के हाथ में गडासा था, बाकी लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। वे केवल उसके पिता का हाथ पकड़े थे। चंदन अकेले मार रहे थे। उसके पिता जी को सिर में पीछे तरफ तीन चोट लगी थी। यह भी कथन किया है कि जब वह भागकर अपने गांव गया और घटना के संबंध में लोगों को बताया एवं जब वह खेत में वापस आया, उस समय मुल्जिमान खेत में नहीं थे, भाग गये थे। मेरे पिताजी उस समय खेत में गिरे पड़े थे, होश में नहीं थे। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार से जिरह की गयी है परन्तु इसके बयान में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं आया है जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू.2 के रूप में मिठाईलाल** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि– ''**घटना 03.01.2014 की है, सुबह के 06:30 बजे थे। मैं मेरा लड़का पवन कुमार मुकेश के खेत में गन्ना काटने गये थे। तभी मुल्जिमान चन्दन, जगदीश, राकेश व इमिरता देवी भी मुकेश के खेत में गन्ना काटने आये। इमिरता देवी ने मुझे देखते ही ललकारा कि आज इसे मार डालों। चन्दन मुझे गाली देने लगे। मैंने उन्हें गाली देने से मना किया तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। इस पर चन्दन गन्न काटने वाले गडांसे से मेरे सिर में प्रहार करने लगे।** मेरा लड़का पवन डर के मारे भागने लगा और दूर से गोहार लगाने लगा। जब मुल्जिमान मार कर जाने लगे मौके पर गांव वाले भी आ गये। सभी लोग मुझे जिला अस्पताल ले गये। वहां से ट्रामा सेन्टर लखनऊ ले गये। घटना की रिपोर्ट मेरे लडके ने दर्ज करायी थी। लखनऊ से जब वापस आया तो 15 दिन बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। चोट खाने के थोडी देर बाद मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। थोडा बहुत दिखता है।''

इसप्रकार इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि घटना दिनांकः 03.01.2014 को सुबह के 06:30 बजे की है। साक्षी व उसका पुत्र मुकेश के खेत में गन्ना काटने गये थे। तभी मुल्जिमान चन्दन, जगदीश, राकेश व इमिरता देवी भी मुकेश के खेत में गन्ना काटने आये। इमिरता देवी ने मुझे देखते ही

ललकारा कि आज इसे मार डालों। चन्दन मुझे गाली देने लगे। मैंने उन्हें गाली देने से मना किया तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। इस पर चन्दन गन्न काटने वाले गडांसे से मेरे सिर में प्रहार करने लगे। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त इमिरता के ललकारने पर अभियुक्त चंदन ने गडासा से उसपर प्रहार कर उपहति कारित की गयी। इसप्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि–''मुल्जिम चन्दन व इमिरता मां बेटे हैं। राकेश व जगजीवन सगे भाई हैं। राकेश व जगजीवन अलग रहते हैं। इमिरता व चंदन एक साथ रहते हैं।......... इस घटना के पूर्व मुल्जिमानों से हम लोगों के बीच कोई झगडा नहीं हुआ था। इस घटना के पूर्व हम लोगों के बीच अच्छे रिश्ते थे। घटना के समय उजाला था। मुकेश का खेत मेरे घर से पश्चिम दक्षिण के कोने पर लगभग 4–5 बीघा की दूरी पर है। मैं व मेरे लडके एक साथ गये थे। जब मैं खेत में गया उस समय गन्ने के खेत में मुल्जिमान के अलावा और कोई नहीं था। मुल्जिमान गाली देने लगे।....... **मुल्जिमान मुझे देखते ही गाली देने लगे, मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। इमरता गाली दे रही थी।** चन्दन ने गाली नहीं दी थी।.........**मैंने गाली देने से मना किया तो इमरता ने कहा देख क्या रहे हो, मारो इसे, यह बात उसने अपने लडके चन्दन से कही।**.........मुझे भागने का मौका नहीं मिला। **राकेश व जीवन ने मुझे पकड़ा था।**....... **चंदन ने बॉके से मारा था,** उस वक्त मेरा लड़का मुझसे बीस कदम दूर था। **चन्दन ने 2–4 मिनट मारा होगा।...........मार खाने के आधा पौना घंटे बाद बेहोश हो गया था। मैं बेहोश होकर गिर गया था।**'' इसप्रकार इस साक्षी ने अभियुक्त इमिरता द्वारा ललकरने का कथन किया गया, जिसके उपरान्त अभियुक्तगण जगजीवन व राकेश द्वारा उसे पकड़ा गया तथा चंदन ने गडासे/बांके से उसपर प्रहार किया, जिससे उसे उपहति कारित हुई है। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी स्पष्ट रूप से अभियुक्त चंदन द्वारा गडासे से मारने का कथन करते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.3** के रूप में **डा0 राकेश कुमार सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि–''दिनांकः 03.01.2014 को मैं संयुक्त जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। उस दिन सुबह इस मुकदमे के चोटहिल मिठाईलाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु चोटहिल हालत में मेरे समक्ष पंचमराम जो चोटहिल का बड़ा भाई था, लेकर आया था। दौरान निरीक्षण चोटहिल के शरीर पर निम्न चोटें

पायी गई। **चोट सं0–1** एक फटा हुआ घाव 11 गुणा 1 सेमी0 गुणा ब्रेन मेटर तक गहरा मौजूद था। जो सिर के छिले हिस्से में दाहिने कान से 8 सेमी0 पीछे मौजूद था। चोट लाइनर शाफ्ट थी। खून बह रहा था। **चोट सं0–2** एक कटा हुआ घाव 9 गुणा 1 सेमी0 गुणा हड्डी तक गहराई सिर के पिछले हिस्से में पहली चोट से 2 सेमी0 पहले मौजूद थी। जो कि लीनयर व साफ्ट थी। **चोट सं0–3** एक कटा हुआ घाव 6 गुणा 1 सेमी0 गुणा हड्डी तक गहराई सिर के ऊपरी हिस्से के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से तक मौजूद था। सभी चोटों में ताजे खून का रिसाव हो रहा था।

चोटहिल अर्धमूछित अवस्था में उसे दौरे आ रहे थे। स्थिति गंभीर थी। चोटों को जेरे निगरानी रखते हुए सी0टी0 स्कैन एक्सरे व अग्रिम इलाज के लिए बडे संस्थान के लिए रेफर किया गया। सभी चोट जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे व सी0टी0 स्कैन हेतु रेफर किया था। निरीक्षण के समय सभी चोटे ताजी थी जो सख्त व धारदार हथियार द्वारा पहुचाई गयी थी। मेडिकल रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मेरे सामने है, शामिल मिसिल है, तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। **यह चोटें दिनांकः 03.01.14 की सुबह 06:30 बजे पहुचाया जाना संभव है। उपरोक्त चोट गणासे से पहुचाया जाना संभव है।**'' इसप्रकार इस चिकित्सक विशेषज्ञ साक्षी द्वारा अपने बयान में चोटहिल मिठाईलाल को सिर में तीन चोटें आने का कथन किया गया है, जिनके इलाज हेतु बड़े संस्थान में रेफर किये जाने का कथन किया गया है साथ ही इस चिकित्सक साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से उपरोक्त चोटें गडांसे से पहुचाये जाने के संबंध में कथन किया है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि–''एक दो घंटे के अन्दर घाव को ताजा घाव कहते है। जिसके खून का रिसाव हो रहा हो। चोटों की स्थिति देखकर यह बता सकते है कि चोट कितनी पुरानी है। एकेडमिक डिस्कशन से पता चलता है। इस केस में ब्लीडिग कब तक हो सकती है ये उस घाव के कंडीशन पर निर्भर करेगी। घाव के कंडीशन को देखकर समय बताया जा सकता है। मार्जिन कितने समय तक फ्रेश रहती है, यह नहीं बताया जा सकता। घाव की स्थिति पर निर्भर करती है।...........**यह चोट सुबह 05:00 बजे की हो सकती है। यह चोट गड़ासा, फरसा, कुल्हाडी, फावडा, कुदाल किसी से आनी संभव है।**''

इसप्रकार इस साक्षी द्वारा जिरह में यह कथन किया है कि चोटहिल को चोट लगभग सुबह 05:00 बजे की हो सकती है। यह चोट गड़ासा, फरसा, कुल्हाडी, फावडा, कुदाल किसी से आनी संभव है। इसप्रकार इस विशेषज्ञ साक्षी के

बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चोटहिल के सिर जो कि मानव शरीर का मार्मिक भाग है, उसपर चोट कारित हुई है।

अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.4 के रूप में अनिल कुमार तिवारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि–''मैं दिनांकः 04.01.2014 को थाना कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उपरोक्त मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर मुझे प्राप्त हुई। थाना उपरोक्त से उपरोक्त मुकदमे की नकल चिक, नकल रपट भी प्राप्त हुई। मैं विवेचना में मशरूफ हुआ और उसी दिन मेरे द्वारा पर्चा नं0–1 किता किया गया। जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया। वादी मुकदमा पवन कुमार भी थाने पर मौजूद मिला। जिस कारण उसका भी बयान अंकित किया। दिनांकः 04.01.2014 को पर्चा नं0–1ए भी किता किया। जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का मेडिकल प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया और थाने में कार्यरत एच.एम. रामऔतार सिंह का बयान अंकित किया। दिनांकः 05.01.2014 को पर्चा नं0–21 किता किया। जिसमें घटनास्थल पर जाकर वादी मुकदमा पवन कुमार की निशानदेही पर नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। तत्पश्चात् समयी साक्षी के रूप में इन्द्रजीत व फूलचन्द्र का बयान अंकित किया। दिनांकः 06.01.2014 को पर्चा नं0–3 किता किया, जिसमें अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया और चन्दन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गडासा को बरामद किया, जिसे अभियुक्त चन्दन ने स्वयं बरामद कराया था। फर्द बरामदगी गडासा व उसकी नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है। जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व 6 डाला गया। दिनांकः 17.01.2014 को पर्चा नं0–4 किता किया, जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का बयान अंकित किया और डिस्चार्ज टिकट मिलने पर उसका भी अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया तथा शेष अभियुक्तगणो के सम्भावित स्थान पर दबिश दिया, दस्तयाब नहीं हुए। दिनांकः 20.01.2014 को पर्चा नं0–5 किता किया, जिसमें अभियुक्त चन्दन के रिमाण्ड की याचना की गयी। दिनांकः 21.01.2014 को पर्चा नं0–6 किता किया। जिसमें चोटहिल का इलाज करने वाले चिकित्सक डा0 आर0के0 सिंह का बयान अंकित किया। तत्पश्चात् स्वतंत्र साक्षी रामप्रसाद, संजू, मुकेश वर्मा, चश्मदीद साक्षी पप्पू यादव, रामपूजन का बयान अंकित किया और शेष अभियुक्तगणों के सम्भावित स्थानों और घर पर दबिश दी गयी। दस्तयाब नहीं हुए।

दिनांकः 22.01.2014 को पर्चा नं0–7 में शेष अभियुक्तगण राकेश, जगजीवन व अमृता आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर संलग्न सी0डी0 किया। दिनांकः 29.01.2014 को पर्चा नं0–8 किता किया, जिसमें न्यायालय के समक्ष शेष अभियुक्तगण का बयान लेने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी, अनुमति प्राप्त हुई। दिनांकः 30.01.2014 को पर्चा नं0–9 किता किया, जिसमें न्यायालय के आदेश पर समय 15:36 बजे मण्डल कारागार फैजाबाद जाकर अभियुक्तगण राकेश, अमृता व जगजीवन का बयान अंकित किया। दिनांकः 03.02.2014 को एस0सी0डी0–1 किता की गयी। जिसमें चोटहिल मिठाईलाल का मजीद बयान अंकित किया और उनके द्वारा प्रदान किया गया एक्स–रे व सी0टी0 स्कैन की प्लेट को संलग्न सी0डी0 किया। रिपोर्ट मांगने पर चोटहिल ने कहा न्यायालय पर उपलब्ध करा दूंगा। तत्पश्चात् फर्द के गवाह मिश्रीलाल, सूरज, कां0 आत्मा प्रसाद, कां0 सुनील यादव का बयान अंकित किया। तमामी विवेचना, निरीक्षण घटना स्थल, फर्द बरामदगी, बयान वादी, चोटहिल व अन्य गवाहान, मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर मैंने अभियुक्तगण चन्दन, अमृता, राकेश व जगजीवन के विरूद्ध धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र सं0–65/14 दिनांकः 30.01.2014 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की चिक व कायमी नकल रपट सं0–20 समय 13:10 बजे दिनांकः 04.01.2014 को थाने पर कार्यरत एच.एम. रामऔतार सिंह द्वारा किता की गयी है, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–8 व 9 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे में बरामद गडासा की नकल रपट–29 समय 15:45 बजे दिनांकः 06.01.2014 को किता की गयी है, जिसकी कार्बन प्रति शामिल पत्रावली मेरे समक्ष है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।............. उपरोक्त मुकदमा अ0सं0–6/14 थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर का माल मुकदमाती सीलयुक्त अवस्था में एक सफेद कपडे में मेरे समक्ष है, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। खोलने पर उपरोक्त का माल मुकदमाती गडासा एक अकबारी पेपर में लिपटा हुआ पाया गया। जिस पर कुछ मिट्टी के अंश चिपके हुए पाये गये। मालमुकदमाती पर सूखा हुआ ब्लड पाया गया। साक्षी ने उपरोक्त माल मुकदमाती को देख कर बताया कि यही माल मुकदमाती अभियुक्त चन्दन ने गन्ने के खेत से पत्तियों के नीचे से बरामद कराया था और बताया था कि इसी से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर मिठाईलाल को चोट पहुंचाया था। माल मुकदमाती को साक्षी ने पहचान किया जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।'' इसप्रकार स्पष्ट है कि यह साक्षी एक औपचारिक

साक्षी है, जिसके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी है। इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि चन्दन की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गडासा को बरामद किया, जिसे अभियुक्त चन्दन ने स्वयं बरामद कराया था। फर्द बरामदगी गडासा व उसकी नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। माल मुकदमाती गड़ासा एक अकबारी पेपर में लिपटा हुआ पाया गया। जिस पर कुछ मिट्‌टी के अंश चिपके हुए पाये गये। मालमुकदमाती पर सूखा हुआ ब्लड पाया गया। साक्षी ने माल मुकदमाती को देख कर बताया कि यही माल मुकदमाती अभियुक्त चन्दन ने गन्ने के खेत से पत्तियों के नीचे से बरामद कराया था और बताया था कि *''इसी से मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर मिठाईलाल को चोट पहुंचाया था।''* इसप्रकार इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य से अभियुक्त चंदन द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये गडासे को बरामद किया जाना साबित है, जिससे चोटहिल को चोटें पहुचाई गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि—''वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था।........उस खेत में वादी व मजरूब गन्ना छील रहे थे, वह स्थान नहीं दिखाया था, जिस स्थान पर अभियुक्तगण ने मजरूब को मारा था, उसे नक्शा नजरी में ए चिन्ह से प्रदर्शित किया है।.............खेत में गन्ना कटा हुआ था। गन्ने की पत्तियां पडी हुई थी। नक्शा नजरी में पत्तियां नहीं दर्शाया है, क्योंकि पूरे खेत में गन्ना की पत्तियां पडी थी।..........मैंने गिरफ्तारी स्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया था, मुझे यह जानकारी है कि अभियुक्त के पास से यदि कोई चीज बरामद नहीं होती है तो नक्शा नजरी बनाना जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने नक्शा नजरी नहीं बनाया था। वहां से मुल्जिम चंदन को लेकर करीब 10 मिनट बाद चंदन के बताये हुए स्थानजहां गडासा छिपा कर रखा था, उस स्थान पर ले गया, फिर खेत के उत्तर पश्चिम कोने से गन्ने के पत्ती से छिपाया था, निकाल कर दिया। रास्ते में दो गवाह मिले थे, जिनके सामने गडासा मिला थाा और मैंने खेत में ही मौके पर फर्द बरामदगी लिखा था तथा सभी के हस्ताक्षर बनवाया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अभियुक्त से बरामद गडासे को खेत से गवाहों के समक्ष बरामद किये जाने का कथन किया गया है, जिसका गडासे का प्रयोग करते हुए अभियुक्त चंदन द्वारा घटना कारित की गयी है। इस साक्षी के साक्ष्य से अन्य तीनों अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आया है।

अभियोजन द्वारा साक्षी **पी.डब्लू.5 के रूप में मिश्रीलाल** को परीक्षित कराया गया इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि—''मैं आज

न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर गवाही देने आया हूं। मैं उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त चन्दन को भली भॉति जानता पहचानता हूं। वह मेरे गांव के हैं। घटना आज से करीब 10 साल पहले की है, तारीख याद नहीं है। **मेरे सगे भाई मिठाईलाल को अभियुक्त चन्दन ने जान से मारने की नीयत से बांका/गड़ासा से मारा पीटा था, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया था।** पुलिस चन्दन को मेरे सामने मेरे गांव के मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में ले गयी थी। मेरे साथ मेरे गांव के सूरज भी थे। **चन्दन ने हम लोगों के सामने मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में गन्ने की पत्ती के नीचे छिपाकर रखा आलाकत्ल गड़ासा/बांका निकालकर पुलिस वालों को दिया था, जिसे पुलिस वालों ने हम लोगों के सामने सील मुहर किया। मैंने बांका/गड़ासा मौके पर देखा था। गड़ासे में खून, मिट्टी व बाल लगे थे।** दिन के करीब तीन बजे रहे थे। पुलिस वालों ने फर्द मौके पर तैयार किया था। हम लोगों को फर्द मौके पर पढ़कर सुनाया था, तब मैंने व सूरज वर्मा ने तथा मुल्जिम चन्दन के साथ–साथ अन्य पुलिस वालों ने उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। शामिल पत्रावली फर्द कागज सं0–6अ/6 मेरे समक्ष है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–5 पूर्व में डाला गया है। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके सगे भाई मिठाईलाल को अभियुक्त चन्दन ने जान से मारने की नीयत से बांका/गड़ासा से मारा पीटा था, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया था। अभियुक्त चन्दन ने मुकेश वर्मा के गन्ने के खेत में गन्ने की पत्ती के नीचे छिपाकर रखा गड़ासा/बांका निकालकर पुलिस वालों को दिया था, जिसे पुलिस वालों ने साक्षी के सामने सील मुहर किया। उसके द्वारा बांका/गड़ासा मौके पर देखा था। गड़ासे में खून, मिट्टी व बाल लगे थे। यह साक्षी अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने प्रर्युक्त किये गये गडासे की बरामदगी के समय मौके पर मौजूद रहने का कथन किया है। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किए जाने पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि–''मैं वादी मुकदमा और मुल्जिमान को जानता पहचानता हूं।........**जिस दिन मुझे पुलिस वाले घटना स्थल पर गड़ासा बरामद करने के लिये ले गये थे, उस दिन मैं काम करने नहीं गया था, क्योंकि उस दिन सुबह–सुबह मारपीट हो गयी थी।** चूंकि मिठाईलाल मेरे सगे भाई है इसलिए मैं काम पर नहीं गया था। .... **पुलिस वाले मुझे घर से बुलाकर मुकेश वर्मा के खेत में ले गये थे। मेरे साथ पवन कुमार व चन्दन थे। गन्ने की पत्ती के नीचे से बांका/गड़ासा माल बरामद हुआ।**

<u>उसको सील मुहर करके कपडे में कोतवाली ले आये।</u>''

इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना वाले दिन सुबह–सुबह उसके भाई मिठाईलाल के साथ मारपीट की घटना हो गयी थी। पुलिस वाले उसे घर से बुलाकर मुकेश वर्मा के खेत में ले गये थे। जहां उसके साथ पवन कुमार व चन्दन थे। गन्ने की पत्ती के नीचे से बांका/गड़ासा माल बरामद हुआ था। इसप्रकार इस साक्षी द्वारा अपने जिरह में भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है परन्तु इसके बयान में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं आया है, जिसका बचाव पक्ष को कोई लाभ मिल सके।

इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित तथ्य साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांकः 03.01.2014 को समय 06:30 बजे प्रातः स्थान बहद् ग्राम अफजलपुर थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर में जब वादी मुकदमा पवन कुमार अपने पिता मिठाईलाल के साथ मुकेश वर्मा के खेत में गन्ना काटने के लिए गये तब वहां पर अभियुक्त चंदन द्वारा प्रहार कर धारदार हथियार गडासे से उसके मार्मिक भाग सिर पर प्रहार कर उपहति कारित की गयी तथा मिठाईलाल को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त चंदन द्वारा पहुचाई गयी चोटों से चोटहिल मौके पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जहां से इलाज हेतु वादी मुकदमा व अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सीय साक्ष्य से भी चोटहिल को गडासे से चोटें आना साबित है। जहॉ तक घटना में अभियुक्तगण **अमिरता, राकेश** एवं **जगजीवन** के संलिप्तता का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि उसमें अभियुक्ता अमिरता की भूमिका मारने हेतु ललकारने तथा राकेश व जगजीवन द्वारा चोटहिल को पकडने का कथन है किन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त तीनों अभियुक्तगण **अमिरता, राकेश** एवं **जगजीवन** द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप चोटहिल को चोटें कारित हुई हो, न तो उक्त तीनों अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल मिठाईलाल के साथ मारपीट करने का साक्ष्य आया है और न ही उनके द्वारा गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में ही कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही उनके पास से मारने वाले किसी साधन/औजार की बरामदगी ही की गयी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण द्वारा मात्र अभियुक्त चंदन द्वारा गडासे से मारकर चोटें कारित करने के संबंध में साक्ष्य आया है। इसी प्रकार चिकित्सक साक्षी द्वारा भी स्पष्ट रूप से चोटहिल को गडासे से चोटें कारित

होने के संबंध में साक्ष्य दिया गया है। इसप्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त चंदन के विरूद्ध चोटहिल मिठाईलाल को गालियां दिये जाने, जान से मारने की धमकी देते हुए प्राणघातक चोटें पहुॅचायी जाने के तथ्य को अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में उपरोक्त घटना कारित की गयी है।

इसप्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य एवं चोटहिल को आयी चोटों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **चंदन** के विरूद्ध धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 का अपराध बनता प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त **चंदन** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है तथा अभियुक्तगण **अमिरता, राकेश व जगजीवन** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–308/34, 324/34,504,506 भा.द.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त **चंदन** धारा– 308,324,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगण **अमिरता, राकेश व जगजीवन** धारा–308/34, 324/34,504,506 भा.द.सं. के अंतर्गत **दोषमुक्त** किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **चंदन** को धारा–308,324,504,506 भा0दं0सं0 में **दोषसिद्ध** किया जाता है तथा अभियुक्तगण **अमिरता, राकेश व जगजीवन** को धारा–308/34, 324/34,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, अभियुक्त **चंदन** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अमिरता, राकेश व जगजीवन अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु धारा–437ए द.प्र.सं. के तहत मु0 20,000/–, 20,000/– के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक–02.04.2026 को पेश हो।

दिनांकः–31.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

02.04.2026

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त जेल से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त का पहला अपराध है। अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त के परिवार की जीविका उसी पर निर्भर है। अभियुक्त के परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता मिठाईलाल को गड़ासे से मारकर उसे प्राणघातक चोटें पहुॅचाने, धारदार हथियार/गड़ासे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने,गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का आरोप सिद्ध हुआ है। अपराध अत्यन्त गम्भीर है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता मिठाईलाल को गड़ासे से मारकर उसे प्राणघातक चोटें पहुॅचाने, धारदार हथियार/गड़ासे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने,गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का अपराध साबित है। इसप्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार है जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना सम्भव है।

दण्डादेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **चन्दन** को धारा– 308 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सात वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–5,000/–रूपये (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **चन्दन** को धारा–324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0 2000/–रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **चन्दन** को धारा– 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–1000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दस दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त **चन्दन** को धारा– 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0–2000/–रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तको 20 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि नियमानुसार सजा में समायोजित होगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाया जाये।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–02.04.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

यह निर्णय/दण्डादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक–02.04.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0–यू.पी. 6067

C.N.R.NO- UPAN010015202014
Session Trial/1000127/2014